पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्

Livestock Research Station

Vallabhnagar, Udaipur (Rajasthan) – 313601
Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner (Rajasthan)

Mob. 9414734827
Email- deancvasvbn@gmail.com
CVAS902@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Dr. R. K Nagda
Officer Incharge

No.F8 ( ) /OI/NVU/Tender/RAJUVAS/2023-24/25 Date : 01/12/2023

निविदा–सूचना

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर की विभिन्न इकाई/परियोजना/फार्म पर प्रातः एवं सायं दैनिक उत्पादित **गाय व भैस के दूध** के विक्रय (प्रति किलोग्राम दर से) हेतु (निविदा अनुमोदन होने की दिनांक से 31 दिसम्बर 2024 तक के लिए) मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क.स.	**कार्य का नाम/ वस्तु श्रेणी**	**अनुमानित दैनिक दूध उत्पादन**	**अनुमानित वार्षिक मूल्य रूपये**	**अमानत राशि रूपये**	**निविदा शुल्क रूपये**
1.	गाय का दूध	100 किलोग्राम	15 लाख	30,000	400
2.	भैस का दूध	80 किलोग्राम	15 लाख	30,000	

नोटः– बिना धरोहर राशि, सशर्त तथा अपूर्ण निविदाएं मान्य नही होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.12.2023 को प्रातः 11:30 बजे तक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग मोहरबन्द निविदाएँ अलग–अलग लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क सहित दिनांक 23.12.2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 1:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदाएं खोली जायेंगी। डाक एवं ई–मेल द्वारा प्रेषित निविदाए मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र व शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाईट http//rajuvas.org एवं http//sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी

<u>गाय एवं भैस के दूध विकय हेतु निविदा की शर्ते</u>

1. निविदा प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक निविदादाता को मोहरबन्द निविदा प्रपत्र के साथ गाय के दूध के लिये रूपये 30,000/– व भैस के दूध के लिये रूपये 30,000/– बोली अमानत राशि (2%) कुल 60,000/– प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर (उदयपुर) के नाम नगद जमा करानी होगी। निविदा की कार्य संपादन राशि (5%) रूपये 75,000/– गाय के दूध एवं रूपये 75,000/– भैंस के दूध तथा कुल राशि 1,50,000/– है। निविदा पक्ष में स्वीकृति होने पर बोली अमानत राशि समायोजित की जावेगी तथा शेष कार्य संपादन की राशि (3%) रूपये 45,000/– गाय एवं रूपये 45,000/–भैंस के दूध कुल रूपये 90,000/– प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर (उदयपुर) के नाम नगद/ऑन लाईन जमा करानी होगी।
2. निविदा में निविदादाता की कोई शर्तमान्य नही होगी। दरे केवल पूर्ण रूपयों में मान्य होगी। कृपया पैसो में दरें ना दे। किसी भी प्रकार के विवाद में कमेटी का अंतिम निर्णय सभी को मान्य होगा।
3. प्रथम उच्च दर वाली पार्टी के असफल होने की स्थिति में उसकी जमानत राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेंगा।
4. सफल निविदादाता यदि निविदा की शर्ते तथा नियमो के अनुसार 3 बार तक दूध उठाने में असमर्थ रहता है तो दूध विकय का ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा जमा की गई हुई कार्य अमानत राशि प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर (उदयपुर) के पक्ष में देय कर जप्त कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उतरदायित्व निविदादाता का होगा एवं कोई ऐतराज नही कर सकेगा।
5. सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरान्त रू. 500/– (पांच सौ रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर (उदयपुर) के पक्ष में अनुबन्ध भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध पत्र एवं कार्य संपादन राशि जमा कराने पर ही दूध दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
6. जिस पार्टी के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा, उसकी कार्य अमानत राशि ठेका अवधि के दौरान जमा रहेगी। कार्य अमानत राशि पर किसी प्रकार ब्याज देय नही होगा। ठेके को संतोष जनक पूरा करने पर ही ठेकेदार को उसकी कार्य अमानत राशि बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जावेगी। यदि ठेके के दौरान ठेकेदार द्वारा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की क्षति पहुॅचाई गयी तो कार्य अमानत राशि जब्त करी ली जावेगी तथा क्षति का भुगतान कार्य अमानत राशि के अलावा ठेकेदार को अलग से करना होगा।
7. स्वीकृति आदेश प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर (उदयपुर) के द्वारा जारी होने के बाद स्वीकृति दर पर ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन उठाये गये दुध का भुगतान सुबह एवं शाम सम्बन्धित ईकाई/परियोजना/फार्म कार्यालय द्वारा निर्धारित समय पर नगद राशि द्वारा करना अनिवार्य होगा।
8. अधिकतम दर को स्वीकार करना, अपरिहार्य कारणो सें ठेके की अवधि घटाना तथा बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर (उदयपुर) को रहेगा। जिसके लिये सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी और निविदादाता का कोई ऐतराज मान्य नही होगा।
9. प्रातः एवं सायं दूध दुहने का समय नियत हैं। ठेकेदार दूध दुहने के समय स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेगा। वह दूध दुहने से लेकर तौल तक सम्पूर्ण प्रकिया में उपस्थित रह सकेगा ताकि दूध में <u>मिलावट/गुणवत्ता</u> संबंधित मिथ्या आरोप की संभावना नहीं रहे। गाय/भैस का दूध जैसा उत्पादित होगा, उसी मानक का लेना होगा। दूध उठाने से पूर्व दूध की गुणवता की जॉच की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। दूध की गुणवता के सम्बन्ध में सम्बधित ईकाई/परियोजना/फार्म कार्यालय का कोई उतरदायित्व नही होगा।

10. दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता से संबन्धित शंका के निवारण हेतु ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होना होगा इस सम्बन्ध में ठेकेदार के किसी भी प्रतिनिधी से किसी भी प्रकार की बातचीत सम्भव नहीं होगी।
11. दूध का उत्पादन प्रातः सायं, दैनिक, मासिक या वर्ष भर समान नही रहता। जितना उत्पादन होगा उसमें से विश्वविद्यालय पर दूग्ध उत्पाद बनाने, अनुसन्धान कार्य एवं अधिकारियो/कर्मचारियो/ विधार्थियों को देने के बाद शेष दूध ही सफल निविदादाता को दिया जायेगा, इस पर निविदादाता को किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी। प्रतिदिन (प्रातः एवं सायं) विक्रय किये जाने वाले दूध की मात्रा में असमानता रहती हैं।
12. दूध दुहने के पश्चात् ठेकेदार को समय (प्रातः 6:45 बजे से 7:45 बजे तक एवं सांय 4:45 बजे से 5:30 बजे तक) पर दूध ले जाना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा विलम्ब से दूध ले जाया जाता है तो दूध खराब हाने के कारण इसकी जिम्मेदारी विभाग की नही होगी इसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि निर्धारित समय पर सफल निविदादाता द्वारा दूध नही उठाया जाता है तो विश्वविद्यालय/विभाग दूध निस्तारण के लिये स्वतंत्र होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि निर्धारित मूल्य से कम आय प्राप्त होती है तो अन्तर की राशि आवेदक (निविदादाता) को वहन करनी होगी और उसे अन्तर राशि अविलम्ब जमा करानी होगी।
13. यदि ठेकेदार दूध उठाने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अधिकृत करने का शपथ पत्र मय फोटो पहचान पत्र कार्यालय मे जमा कराना होगा।
14. सभी विवादों के लिये न्याय क्षेत्र वल्लभनगर होगा। दूध निस्तारण के समय ठेकेदार या प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ठेकेदार विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को दूध विक्रय नही करेगा और किसी भी प्रकार की दूध में मिलावट नही करेगा।
15. दूध विक्रय की निविदा की दर अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश जारी होने के एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी जिसे पारस्परिक सहमति से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
16. निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठो एवं संलग्न दस्तावेजों पर स्याही से निविदातादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य है, निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित दर अंको व शब्दो में पृथक – पृथक अंकित की जावे। अंको व शब्दों में अन्तर होने पर अधिकतम दर को सही माना जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा लिफाफा पर निविदा का विवरण दर्शाना अनिवार्य होगा।
17. बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार्य नही होगी।
18. निविदा खोलने की दिनांक को अगर कोई अवकाश घोषित होता है तो निविदा दूसरे दिन कार्य दिवस को खोली जायेगी।
19. दूसरे नम्बर के उच्चतम दर वाले फर्म की अमानत राशि एक माह के लिये कार्यालय में जमा रहेगी।
20. दरें सही (बाजार भाव के अनुरूप) प्राप्त नही होने पर अगर कमेटी चाहे तो निविदादाताओं में प्रतियोगी बातचीत द्वारा दरें निर्धारित करवा सकेगी। किसी भी प्रकार विवाद में प्रभारी अधिकारी एवं कमेटी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
21. महाविद्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी सेवा प्रदाता के कर्मचारी के रिश्तेदार/सम्बन्धी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाग नहीं ले सकेगें।

मेरे द्वारा निविदा शर्ते 1 से 21 ध्यान से पढ़ ली गई मैं इन शर्तो से पूरी तरह से सहमत हूँ।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
मोबाइल नम्बर....................